न्यायालयः— अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), शिवहर

पिपराही थाना कांड संख्या—53 / 2022

Excise No- 441 / 2022 (सरकार बनाम सुधीर राय एवं अन्य)

03.01.2026 :— विचारण के अभियुक्त सुधीर राय की ओर से हाजरी शपत पत्र एवं एक आवेदन दाखिल किया गया। आवेदन को विद्वान अधिवक्ता अशोक कुमार पटेल द्वारा प्रचालित किया गया।

आवेदक अभियुक्त सुधीर राय के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त सुधीर राय पर प्रस्तुत वाद में शराब पीने का धारा —37(2) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम—2016—2018 का अभियोग हैं। धारा —37 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद,(संशोधित) अधिनियम— 2022 के अंतर्गत अर्थदण्ड का प्रावधान हैं। आवेदक अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है एवं अपना दोष स्वीकार करते है। अतः इसे न्यूनतम अर्थदण्ड लेकर वाद का निष्पादन करने की कृपा की जाय।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभियुक्त अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में धारा— 37(2) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016—2018 के अंतर्गत अभियुक्त सुधीर राय के विरूद्व अभियोग है। अभियुक्त अपना दोष स्वीकार करते है एवं शपथ पत्र दाखिल कर यह कथन करते है कि यह उनका पहला अपराध है।

अतः धारा—37 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम— 2022 के नियम 18(3) के आलोक में अलग विहित प्रपत्र—VII में आदेश पारित किया जाता हैं।

लेखापित

Brijesh Mani Tripathi

अनन्य विशेष
न्यायाधीश(उत्पाद)
शिवहर।

बाद में

03.01.2026: उपरोक्त आदेश के आलोक में अभियुक्त सुधीर राय द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि मों0— 2,500/—(दो हजार पॉच सौ रू0) चलान के माध्यम से नजारत रसीद संख्या—....3535...., दिनांक—....3-1-26.... एवं चलान सं0—....1230.... दिनांक—....3-1-26....के द्वारा जमा की गई है। तदनुसार इस वाद में अभिुक्त सुधीर राय के विरूद्व लगे आरोप धारा—37 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद(संशोधत) अधिनियम—2022 का वाद निष्पादित किया जाता है। प्रस्तुत वाद में अब अभियुक्त— गेना राय का विचारण चलेगा।

दिनांक— ....11-3-26.... उपस्थिति हेतु।

लेखापित

Brijesh Mani Tripathi

अनन्य विशेष
न्यायाधीश(उत्पाद)
शिवहर।